न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–20 / 2021 (2021 / 39)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 27.01.2021

शीर्षक

1. कैलाशचन्द्र पुत्र बरदीचन्द जाट
2. भैरूलाल पुत्र बरदीचन्द जाट
3. शोभालाल पुत्र बरदीचन्द जाट
4. सन्तोकी पत्नी बरदीचन्द जाट
5. मगना पुत्र सवाईराम जाट

सर्व निवासी हरिपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनी बेवा हरलाल जाट
2. देवीलाल पिता चम्पालाल जाट
3. शिवलाल पिता चम्पालाल जाट
4. रतनलाल पिता चम्पालाल जाट
5. मनोहरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत
6. बद्रीलाल पिता जवाहरमल जाट
7. होकमीचन्द पिता रंगलाल जाट
8. अमरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत
9. रामलाल पिता रतु भील
10. मांगु पिता मोती भील
11. शंकर पिता लेहरू सुथार
12. हीरालाल पिता छोगा जाट
13. मियाचंद पिता हांसु जाट
14. प्रकाश पिता अम्बालाल जाट

सर्व निवासी हरिपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

——विपक्षीगण

उपस्थिति– **अधिवक्ता प्रार्थीगणः–** श्री सुनील बापना
पेरोकार सरकार

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः–16.02.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:55 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रका[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत वि[illegible] विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का उल्लाई तहसील स[illegible] अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 134 रकबा 0.78 हे0, 13[illegible]00 हे0, 138 रकबा [illegible]0, 232 रकबा 0.35 हे0, 235 रकबा 0.77 हे0, 236 रकबा [illegible]35 हे0, 248 रकबा 0[illegible] किस्म चाही, 25 रकबा 0.40 हे0, 26 रकबा 0.49 हे0, 309 / 141 रकबा 0.17 हे0, 38 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.26 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 25 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

1.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। पेरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया।प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार हैअतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का उल्लाई तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 134 रकबा 0.78 हे0, 137 रकबा 1.00 हे0, 138 रकबा 0.23 हे0, 232 रकबा 0.35 हे0, 235 रकबा 0.77 हे0, 236 रकबा 0.85 हे0, 248 रकबा 0.25 हे0 किस्म चाही, 25 रकबा 0.40 हे0, 26 रकबा 0.49 हे0, 309/141 रकबा 0.17 हे0, 38 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.26 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 25 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर. टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1650/– (एक हजार छः सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1650/– (एक हजार छः सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:55 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.